Case No - 288/23

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फाइल. सं. NCST/SER-598/JH/2/2022-SSW

श्री भोर सिंह यादव
उपायुक्त लातेहार
जिला – लातेहार
फोन - 06565-247422, ईमेल- dc-lat@nic.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क केअंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामले का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अत: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष **दिनांक 09.01.2023 को 17:00 बजे,** आयोग मुख्यालय, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एततद्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामलें का सन्दर्भ:- अभिजीत कॉर्पोरेट पावर लीमिटेड(प्राइवेट कंपनी) के लातेहर स्थित प्लांट मे अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों के साथ हो रहे शोषण एवं दुर्व्यवहार के बाबत - श्री समीर उरांव, माननीय राज्य सभा सदस्य का दिनांक 22/04/2022 का ईमेल ।

सन्दर्भ :आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 23.09.2022 एव आवेदन दिनांक 22/04/2022 (प्रति संलग्न)

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक **02.01.2023** को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर
न्यायालय अधिकारी
Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Government of India
Lok Nayak, Bhawan, New Delhi-110003

मोहर

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

Copy for information to:-

1. PS to Hon'ble Chairperson, NCST.
2. PS to Hon'ble Member, NCST.
3. PS to Secretary, NCST.
4. PS to Joint Secretary, NCST.
5. PA to Director (SSW & Admin), NCST
6. NIC NCST for uploading on the website of NCST.